राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :– 36/2023
रजू दिनांक :– 05.05.2023

उनवानः–

1. गुडेज एस्टेट प्रा.लि. रजिस्टर्ड आफिस प्लाट नं0 एस.बी. 39 बी रामबाग सर्किल टोंक रोड जयपुर जरिये डायरेक्टर मोहम्मद जाकिर खान निवासी मकान नं. 3190 निमाडिया हाउस चौकडी तापेखाना जयपुर।

वादी/ अप्रार्थी।

बनाम

1. कन्हैयालाल खटीक पुत्र हरिनारायण खटीक निवासी खटोको का मौहल्ला थाने के पिछे गढ के पास ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर जिला जयपुर ग्रामीण।
2. तहसीलदार, बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण।

दावा बाबत ह0ई0दवामी
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0
व सपठित धारा 151 सी.पी.सी।

उपस्थिति :–

1. श्री विनोद कुमार शर्मा एड0 वादी/ अप्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुधीर शर्मा एड0 प्रतिवादी / प्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

आज पत्रावली पेश हुई प्रा0पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा,188 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन किया कि वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि ख.नं. 977/351/0.8346 हैक्टेयर वाके ग्राम कानोता तहसील बस्सी मे स्थित है उक्त आराजी को वादपत्र मे आराजी विवादित से संबोधित किया गया है। वादी ने आराजी विवादित को चारो ओर से तारफेसिंग व मेड डोल से सुरक्षित कर रखा है एंव काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी व विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है व ना ही कभी रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 भू माफिया प्रकृति का व्यक्ति है एवं लोगों की भूमियों पर जबरन कब्जा कर अवैध वसूली, अवैध कब्जा जैसे गैर कानूनी कार्य करता है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी की कब्जे काश्त की भूमि पर बुरी नजर रखता है अवैध रूप से कब्जा कर विवादित आराजी पर निर्माण करने की कोशिश करता है व ऐलानिया धमकी देता है कि उक्त आराजी को ओन पोने दाम मे उसे बेच दे अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे तथा जबरन कब्जा व निर्माण करने का प्रयास करता रहता है जिसका उसे कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक 27.04.2023 को जब वादी की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 बाहूबल से कब्जा करने के इरादे से नींव खोदने लगा व कुछ निर्माण सामग्री डाल अवैध कब्जा करने लगा इस पर मिन वादी के नौकर ने मना किया तो व मार पीट पर उतारू हो गया पुलिस को सूचना दी गई व पुलिस ने मौके पर आकर अवैध नींव खुदाई व निमार्ण को रूकवाया। इस प्रकार वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है इस लिए वादी का यह वाद प्रतिवादी संख्या 1 जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का पेश करना आवययक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 आराजी विवादित मे जबरन प्रवेश ना करे,किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे।

उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए दिनांक 14.07.2023 को प्रतिवादी कैन्हयालाल पुत्र हरिनारायण की ओर से प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश किया कि उक्त वादपत्र मे प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 को बिना वजह तंग व परेशान करने की गर्ज से वास्तविक तथ्यों को छूपा कर न्यायालय श्रीमान मे पेश किया गया है। क्यों कि प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 पट्टाशुदा आबादी भूखण्ड मय पुख्ता बाउण्ड्रीवाल के कानोता पंचायत समिति बस्सी तहसील बस्सी जिला

जयपुर द्वारा ग्राम कानोता मे आबादी भूमि ख.नं. 351 मे स्थित है। उक्त भूखण्ड के प्लाट संख्या 10 का पट्टा ग्राम पंचायत कानोता जरिये सरपंच द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 20.03.1983 का दिया गया था। जिसका माप कुल 1350 वर्गफूट या 150 वर्ग गज है। वादी / अप्रार्थी प्रार्थी के पट्टाशुदा आबादी भूखण्ड को जबरन हडफ ना चाहता है जिसका उसे कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। ग्राम पंचायत कानोता द्वारा अप्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 के हक मे जारी पट्टा सक्षम न्यायालय खारिज नही किया गया है। वादी का वाद धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रवधानानुसार विधि वर्जित होने व आबादी भूमि से संबंधित वाद का सुनवायी क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने से वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित हैं इस कारण वादी को यह वाद पेश करने के लिए हेतुक प्रकट नही होता है जो आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परिधी मे आता है। अतः प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर वादी/अप्रार्थी का वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादी ने प्रा.पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाव पेश किया कि आराजी विवादित वादी की खातेदारी की है वादी ने आबादी भूमि के बाबत कोई वाद पेश नही किया है तथा ना ही ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि को आबादी मे दर्शित करते हुए पटटा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वादी ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है धारा 188 आर0टी0एक्ट के तहत वाद सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को ही है प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा जो बिन्दू प्रार्थना पत्र मे अंकित किये ह`वह विधि व साक्ष्य के प्रश्न है जिन्हे बिना तकनीयात कायम किये निर्णित नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः प्रा0पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसार विवादित आराजी ख.नं. 977/351/0.8346 हेक्टेयर गै0मु0टिबा वादी की खातेदारी मे निर्माणाधीन उपस्वास्थय केन्द्र, और जलदाय विभाग को पानी की टंकी हेतु आवंटित भूमि एवं आम रास्ता की भूमि को छोडकर हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज किया हुआ है। आराजी विवादित गैर0 मु0 टिबा है जिसमे उपस्वास्थ्य केन्द्र जलदाय विभाग को भूमि आवंटित है एव रास्ता की भूमि है। आराजी विवादित कृषि भूमि न होकर गै0मु0 टिबा है वादी ने अपने वाद मे यह स्पष्ट नही किया है कि उपस्वास्थ्य केन्द्र,जलदाय विभाग व रास्ते का कितना कितना रकबा है तथा प्रार्थी/ प्रतिवादी द्वारा आवासीय पटटा पेश किया है इसलिए प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। इसलिए वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परिधी मे होने के कारण चलने योग्य नही है। वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद हु0ई0दवामी आराजी ख0न0 हाल ख.नं. 977/351/0.8346 हैक्टेयर वाके ग्राम कानोता तहसील बस्सी आदेश 07 नियम 11जा0दी0 की परीधि मे व वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जा कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

18/6/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर ग्रामीण